सं. ए.12018/17/2024-एमएच-II
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन नई दिल्ली-110011
दिनांक 03 जून, 2024

नोटिस

यह मंत्रालय स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आरएचटीसी अस्पताल, नजफगढ़ में आहार विशेषज्ञ के पदों के लिए भर्ती नियम बनाए जाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के प्रारूप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए भर्ती नियम बनाने के प्रस्ताव पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ विचार करने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां श्रीमती अनुराधा रामकृष्णन, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कमरा नंबर 401-डी, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में भेजी जाएं और सॉफ्ट कॉपी anuradha.ramakrishan@nic.in पर भेजी जाए।

(मन्टु कुमार)
अनुभाग अधिकारी
दूरभाष:-23061846

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़,
नई दिल्ली -110043

अधिसूचना

सा.का.नि. -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आरएचटीसी अस्पताल, नजफगढ़, नई दिल्ली में आहार विशेषज्ञ, ग्रुप-बी, गैर-राजपत्रित के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है: निम्नलिखित नियम अर्थात्: –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आरएचटीसी अस्पताल, नजफगढ़, नई दिल्ली, आहार विशेषज्ञ, (ग्रुप-बी), गैर-राजपत्रित, भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि: – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची का प्रारूप

आहार विशेषज्ञ के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
आहार विशेषज्ञ	01* (2024) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह **'ख'**, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -7 (रु. 44900 – 142400/-)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
6	7	8
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) या आमेलन	केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त या वैधानिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 (रु. 35400 – 112400/-) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और (ख) नीचे दी गई निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हो: अनिवार्य: (क) (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान में मास्टर डिग्री

		अथवा (II) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहार विज्ञान या आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री अथवा (ख) (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या खाद्य विज्ञान और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान या खाद्य और पोषण आहार विज्ञान या आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में वी.एस.सी. डिग्री; और (II)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (III) केंद्र या राज्य सरकार या स्वायत्त या वैधानिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत 100 बिस्तरों वाले अस्पताल या संगठन में आहार विज्ञान में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। नोट 1: केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी ही केवल आमेलन के पात्र होंगे। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंदीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से आधिक नहीं होगी। नोट 3:प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अतिंम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	**13**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।